बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वित्तीय **वर्ष 2017–18** के नवीन एवं नवीकृत छात्रवृत्ति हेतु पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए आवश्यक सूचना।

पात्रता :

1. बिहार राज्य के स्थायी निवासी हों।
2. प्रवेशिकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् हों।
3. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्रा हों।

अहर्त्ता :

1. माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय अधिकतम 1.00 लाख रुपये।
2. केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत् हो।
3. केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् हो।
4. छात्र/छात्रा एक स्तर का कोर्स उत्तीर्ण करने के बाद दुसरे समकक्ष कोर्स में अध्ययन करने पर छात्रवृति के हकदार नही होंगे। यथा आई. एस. सी./आई कॉम. की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आई.ए., बी.ए./बी.एस.सी. की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बी.कॉम. एवं एम.एस.सी./एम.कॉम. की परीक्षा करने के बाद एम.ए. कक्षा में अध्ययन करने पर छात्रवृति नहीं दी जायेगी।
5. एक माता–पिता के मात्र 02 (दो) पुत्रों को ही प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति प्रदान की जायेगी। यह नियम पुत्रियों पर लागू नहीं होगा।
6. यदि किसी छात्र/छात्रा को अन्य संस्थानों/योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृति प्राप्त होती है, तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत दोहरा लाभ अनुमान्य नहीं होगी। छात्र/छात्रा एक से अधिक छात्रवृति/वजीफा प्राप्त होने पर किसी एक का ही चयन कर सकते हैं।
7. आवेदक के पास भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजनान्तर्गत निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पात्रता होनी चाहिए। भारत सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता http://bcebcwelfare.bih.nic.in एवं http://socialjustice.nic.in पर उपलब्ध है।

छात्रवृत्ति के अन्तर्गत देय राशि :

1. प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका एवं बिहार सरकार के संकल्प ज्ञापांक–2565, दिनांक–21.12.2017 के दर के आलोक में।

आवेदन की प्रक्रिया :

1. आवेदन पत्र ऑनलाईन प्राप्त किये जायेंगे।
2. ऑनलाईन आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में National Scholarship Portal Version 2.0 (NSP-2.0) के वेबसाईट **https://scholarships.gov.in** पर उपलब्ध है।

3. National Scholarship Portal के Home Page पर State Schemes को चयन करने के पश्चात् Post-Matric Scholarship– Bihar के अन्तर्गत Apply करेंगे।
4. छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय छात्र/छात्रा उसी संस्थान का नाम चयन करें जिसमें वो अध्ययनरत् हों।
5. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन पत्र का हार्ड कॉपी के साथ सभी वांछित दस्तावेजों को दो प्रतियों में संलग्न कर अध्ययनरत् संस्थान में जमा करेंगे।
6. संस्थान एक प्रति Acknowledgement के रूप में आवेदक को वापस करेंगे तथा दूसरी प्रति को Online सत्यापन/अग्रेतर कार्रवाई हेतु अपने पास रखेंगे।
7. सभी संस्थानों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्रों को सत्यापनोपरांत ऑनलाईन अग्रसारित करना अनिवार्य है।
8. विशेष जानकारी के लिए टॉल फ्री नं0–0120–6619540 एवं दूरभाष नं0 0612–2226099 पर संपर्क किया जा सकता है।
9. निर्धारित तिथि तक आवेदन करना अनिवार्य है।

ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक स्वप्रमाणित दस्तावेजः–

1. विगत वर्ष का अंक पत्र एवं अन्य प्रमाण–पत्र।
2. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत माता–पिता/अभिभावक का अद्यतन (विज्ञापन प्रकाशन से एक वर्ष के अन्दर निर्गत) आय प्रमाण पत्र।
3. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र।
4. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र।
   (बिहार लोक सेवाओं का अधिकार (RTPS) के तहत निर्गत जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र एवं आवासीय प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।)
5. आवेदक द्वारा आवेदन–पत्र में अपने बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड एवं खाता संख्या अंकित करने के पश्चात् साक्ष्य के रूप में स्कैन किया गया पासबुक का प्रथम पृष्ठ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही संस्थान का आई.एफ.एस.सी. कोड एवं खाता संख्या भी अंकित किया जाय।
6. आधार कार्ड (यदि हो तो) का स्कैन कॉपी।
7. उक्त सत्र का शुल्क की प्राप्ति रसीद।
8. आवेदक का फोटोग्राफ।

आवेदन करने की तिथि :

1. छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि–08 फरवरी 2018 से 28 फरवरी 2018 तक।
2. निर्धारित तिथि के पश्चात् आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सरकार के विशेष सचिव।